न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

वाद संख्या :: 85/2023

श्रीमति मनरकंवर पत्नि देवेन्द्रसिंह जी जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी राजगढ़,तह. बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज.) ....वादीयॉ

---- बनाम ----

1:– भवरसिंह पिता लक्ष्मण सिंह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा
2:– शिवसिंह पिता लक्ष्मण सिंह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा
3:– सम्दाकंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा
4:– मु.फुलाकंवर पत्नि स्व.लक्ष्मणसिंह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासीरूघनाथपुरा
5:– नारायणसिंह पिता किशोरसिंह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा
6:– अमरसिंह पिता किशोरसिंह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा
7:– शंभुसिंह पिता किशोरसिंह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा
8:– श्रीमति मांगकंवर पत्नि स्व. कजोड सिंह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा तह. बेगूं, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)
9:– श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी अधिकारी तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ़
10:– श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ़ , जरिये प्रतिनिधी राजस्थान सरकार
..................प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री देवेन्द्र सिंह
अधिवक्ता वादी
प्रतिवादीगण
अनुपस्थित

निर्णय दिनांक ::– 28.03.2025

वाद – पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 रा0 का0 अधि0

वादी की ओर से वाद पत्र अ.धा. 53–188 राज.काश्त.अधि. का अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में निवेदन इस प्रकार से किया गया कि वादीयॉ व प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त कि आराजीयात मौजा रूघनाथपुरा पटवार हल्का ईटावा में स्थित हो जिसके खाता सं. 17 होकर आराजी नं. 104 रकबा 3.2140 हैक, आराजी नं. 106 रकबा 2.1440 हैक , नहरी कुल किता 2 कुल रकबा 5.3580 हैक है जिसमें वादीयॉ का हक हिस्सा 3/8 एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 का 1/2 व प्रतिवादी सं. 8 का 1/8 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। यह कि वादीयॉ दर्ज रेकार्ड हक हिस्से पर जमीन क्रय की तभी लगातर काबीज है वादीयॉ एंव प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर बाहमी तौर पर बटवाड़ा कर अपने – अपने दर्ज रेकार्ड हक हिस्से पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के बेरोक –टोक निरन्तर काश्त कर उपयोग– उपभोग करते चले आ रहे है।

यह कि वादीयॉ एंव प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बटवाड़ा नहीं होने के कारण आए दिन सीमा संबंधी व मेरपाली को लेकर विवाद होता रहता है, वादीयॉ द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चल कर बटवाड़ा करने को कहा लेकिन उन्होने मना कर दिया इसलिए उक्त भुमि का अपने हक हिस्से अनुसार वादीया 3/8 हक हिस्से का बटवारा करा अपना खाता अलग कराने का अधिकारीणी है इस हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

यह कि वादीयॉ के अपने 3/8 हक हिस्से का मौके पर कब्जे अनुसार बटंवारा किया जाना न्यायहीत में न्यायोचित होगा तथा प्रतिवादीगण का जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांवद किया जाना आवश्यक है कि वाद बटवाड़ा वादीयॉ के हक हिस्स की जमीन में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें न करावे और वादीयॉ को अपने हक हिस्से का उपयोग उपभोंग शांति पूर्वक करने देवें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ़)

यह कि वाद कारण दिनांक 02.03.2021 को प्रतिवादी को तहसील में चल कर बटवाड़ा को कहा लेकिन मना करने से पैदा होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रतिवादी सं. 9 व 10 वाद में आवश्यक पक्षकार भूमिधारी अधिकारी व प्रतिनिधी राजस्थान सरकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वाद वर्णित विवादीत आराजियात तह. बेगूं में स्थित होने व पक्षकार भी तह. बेगूं के स्थाई निवासी होने के कारण वाद श्री मान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार को होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः श्री मान से वादीयाँ निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है:-

क :- कि वाद वादीयाँ का स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित विवादीत आराजियात मौजा रूघनाथपुरा पटवार हल्का ईटावा में स्थित हो जिसके खाता सं. 17 होकर आराजी नं. 104 रकबा 3.2140 हैक, आराजी नं. 106 रकबा 2.1440 हैक , महशे कुल किता 2 कुल रकबा 5.3580 हैक. है जिसमें वादीयाँ का हक हिस्सा 3/8 हक हिस्से दर्ज रकोर्ड अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार बटवारा किया जाकर खाता अलग - अलग दर्ज किया जावें।

ख :- कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वाद बटवाड़ा वादीयाँ के हक हिस्से की जमीन में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें न करावें और वादीयाँ को अपने हक हिस्से का उपयोग उपभोग शांति पूर्वक करने देवें।

ग :- कि अन्य कोई अनुतोष जो बहक वादीयाँ हो व विरूद्व प्रतिवादीगण हो प्रदान किया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से प्रकरण मे प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रकरण मे भूमिधारी फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा इस विभाजन के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण मे वादीया की ओर से साक्ष्य वादी मे शपथ पत्र वादी भवरकंवर पति देवेन्द्रसिंह का प्रस्तुत होकर उनके द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयानो को कलमबद्ध कराया गया तथा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा आदेश होने से जिरह व पुनः परीक्षण निल रहा है। इस प्रकार वादपत्र में वादीया की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने पर अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, जिन्होने अपनी बहस वादपत्र के अनुसार करते हुए दस्तावेज में अंकित वाद वर्णित आराजी में वादीया का हिस्सा 3/8 व शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का रखते हुए भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन काबिज अनुसार किये जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया है।

हमारे द्वारा बहस अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा सुने जाने के उपरान्त पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा रूघुनाथपुरा आ. सं0 207 से 74 प्रदर्श--2 एवं नक्शाट्रेस आराजी प्रदर्श--1 का अवलोकन किया गया, जमाबंदी में वर्णित आराजी मौजा रधुनाथपुरा प0ह0 ईटावा की आराजी संख्या 104 रकबा 3.2140 व आ.स. 106 रकबा 2.1440 हैक्टर भूमि मे वादिया का हिस्सा 3/8 नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया है कि वादीया का हिस्सा वर्णित आराजीयात में 3/8 अंकित है, जिसका वादीया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत विभाजन करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने एवं प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53--183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा रधुनाथपुरा आ. सं0 2071 से 74 प्रदर्श--2 एवं नक्शाट्रेस आराजी प्रदर्श--1 का अवलोकन किया गया, जमाबंदी में वर्णित आराजी मौजा रधुनाथपुरा प0ह0 ईटावा की आराजी संख्या 104 रकबा 3.2140 व आ.स. 106 रकबा 2.1440 हैक्टर भूमि मे वादिया का हिस्सा 3/8 नकल जमाबंदी अनुसार रखते हुए एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000/-- अक्षरे दो हजार रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को दी जाकर उन्हें निर्देश दिये जाते है कि वह आराजी का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

न किये जाने हेतु कमिश्नर शुल्क वादीगण से 2000/—रूपये प्राप्त कर भूमि का विभाजन सीय मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक/राजस्व कोर्ट/2025/165 दिनांक 10.03.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा रूघनाथपुरा पटवार हल्का ईटावा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:—

1— श्रीमति भंवर कंवर पति देवेन्द्रसिंह राजपूत सा. देह खातेदार रहन एच.डि.एफ.सी. बैंक लि. शाखा बस्सी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान	विशेष विवरण
106	2.00			संलग्न नजरी नक्शा एंव ट्रेस अनुसार
कीता— 01	2.00 हैक्टर			

अमरसिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा राजपूत 4/25 सा. आसिंद खाता रहन वदस्तुर जमांवदी, नारायण सिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा राजपूत 4/25 सा. आसिंद खाता रहन वदस्तुर जमांवदी, प्रेमकवंर पत्नी किशोरसिंह हिस्सा राजपूत 4/25 सा. आसिंद खातेदार, फूलकंवर पत्नी स्व. लक्ष्मणसिह राजपूत हिस्सा 1/25 सा. आसिंद खातेदार मांगकंवर पत्नी कजोडसिंह राजपूत हिस्सा 1/25 सा. देह खातेदार रहन पी. एन. वी. शाखा राजगढ, विष्णुकंवर पत्नी शंम्भूसिह राजपूत हिस्सा 4/25 सा. देह खातेदार रहन पी. एन. वी. शाखा राजगढ, शिवसिंह पुत्र लक्ष्मणसिह राजपूत हिस्सा 1/25 सा. आसिंद खातेदार, समताकंवर पुत्री लक्ष्मणसिह राजपूत हिस्सा 1/25 सा. आसिंद खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान	विशेष विवरण
104	3.214			—
106 मेसे	0.144			संलग्न नजरी नक्शा एंव ट्रेस अनुसार
कीता— 02	3.358 हैक्टर			

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांवद किया जावें कि वादीयों के हक हिस्से की जमीन में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें न करावें और वादीयों को अपने हक हिस्से का उपयोग उपभोंग शांति पूर्वक करने देवें। पर्चा डिकी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या :: 85/2023

श्रीमति भवरकंवर पत्नि देवेन्द्रसिंह जी जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी राजगढ़,तह. बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)
.........वादीयाँ

— बनाम —

1:— भवंरसिंह पिता लक्ष्मण सिह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा
2:— शिवसिंह पिता लक्ष्मण सिह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा
3:— सम्दाकंवर पुत्री लक्ष्मण सिह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा
4:— मु.फुलाकंवर पत्नि स्व.लक्ष्मणसिह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासीरूघनाथपुरा
5:— नारायणसिह पिता किशोरसिह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा
6:— अमरसिंह पिता किशोरसिंह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा
7:— शंभुसिंह पिता किशोरसिह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा
8:— श्रीमति मांगकंवर पत्नि स्व. कजोड सिंह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी रूघनाथपुरा तह. बेगूँ , जिला चितौड़गढ़ (राज.)
9:— श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी अधिकारी तहसील बेगूँ जिला चितौड़गढ़
10:— श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौड़गढ़ , जरिये प्रतिनिधी राजस्थान सरकार
...................प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53—188 राज0 काश्त0 अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से .... की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53—188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 28.03.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53—188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है:—

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा रूघनाथपुरा पटवार हल्का ईटावा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:—

1— श्रीमति भंवर कंवर पति देवेन्द्रसिंह राजपूत सा. देह खातेदार रहन एच.डि.एफ.सी. बैंक लि. शाखा वस्सी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान	विशेष विवरण
106	2.00			संलग्न नजरी नक्शा एंव ट्रेस अनुसार
कीता— 01	2.00 हैक्टर			

अमरसिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा राजपूत 4/25 सा. आसिंद खाता रहन बदस्तुर जमांबदी, नारायण सिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा राजपूत 4/25 सा. आसिंद खाता रहन बदस्तुर जमांबदी, प्रेमकवंर पत्नी किशोरसिंह हिस्सा राजपूत 4/25 सा. आसिंद खातेदार, फूलकंवर पत्नी स्व. लक्ष्मणसिह राजपूत हिस्सा 1/25 सा. आसिंद खातेदार मांगकंवर पत्नी कजोडसिंह राजपूत हिस्सा 1/25 सा. देह खातेदार रहन पी. एन. बी. शाखा राजगढ, विष्णुकंवर पत्नी शंभूसिह राजपूत हिस्सा 4/25 सा. देह खातेदार रहन पी. एन. बी. शाखा राजगढ, शिवसिंह पुत्र लक्ष्मणसिह राजपूत हिस्सा 1/25 सा. आसिंद खातेदार, समताकंवर पुत्री लक्ष्मणसिह राजपूत हिस्सा 1/25 सा. आसिंद खातेदार

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान	विशेष विवरण
104	3.214			—
106 मेसे	0.144			संलग्न नजरी नक्शा एंव ट्रेस अनुसार
कीता— 02	3.358 हैक्टर			

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से राजस्व रेकार्ड मे पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीयों के हक हिस्से की जमीन मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें न करावें और वादीयों को अपने हक हिस्से का उपयोग उपभोग शांति पूर्वक करने देवें। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)वैर्

क्रमांक / सरिश्ता / 2025/ 163

दिनांक :— 1.4.2025

अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार, वैर् को वास्ते पालनार्थ दी जाती है

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)वैर्